

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हंगुनु
 ::

कार्यालय - आदेश
 ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प. 18/1/शिक्षा-5/0/पाठ दिनांक: 16.11.02 एवं 20.3.03 तथा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान धीकानेर के पत्रांक:शिविरा/प्रार/शैक्षिक/सं/19626/02 मुख्य-दो 11/17 दिनांक:30.11.02 के अनुसार इस कार्यालय द्वारा कदाये गये निरीक्षण के उपरान्त उनके द्वारा की गई क्रमोन्नति हेतु अनुशंसा के आधार पर निम्न विधालय/विधालयो आगामी सत्र : 2003-2004 से उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने की अर्जेजी माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्रमोन्नति हेतु निम्न शर्तें:-

=====

- 1 संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी ।
- 2 संस्था में प्रशिक्षित अध्यापको को ही नियुक्त किया जावे ।
- 3 राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जावेगी ।
- 4 क्रमोन्नति स्तर के लिए संस्था के मास पर्याप्त भवन की व्यवस्था करनी होगी ।
- 5 भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- 6 विधालय के पते में बिना निम्न हस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा । क्रमोन्नति के पश्चात भी विभाग का जांच दल सतथा का निरीक्षण कर सकता है । यदि उक्त समय स्थान भवन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की क्रमोन्नति निरस्त कर दी जावेगी ।

=====

क्र. सं विधालय का नाम व पता

=====

- 1 डूण्डलोद पब्लिक स्कूल, डूण्डलोद
- 2 नेहरु बाल मन्दिर, चिड़ावा
- 3 टैगोर पब्लिक स्कूल, दूरजगद
- 4 सरदार पटेल चिल्ड्रन अकेडमी, पिलानी

(Signature)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा हंगुनु

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/हं/मान्यता/2003/ 876 दिनांक: 30-4-03
 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 संयोजक एवं प.अ. रा. उ. प्रा. विधालय तैनिक पुरा
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.....
- 3 सचिव.....
- 4 कार्यालय रिकार्ड

(Signature)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा हंगुनु